रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2014/चैत्र 21, 1936
No. 207] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2014/CHAITRA 21, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 277(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 754 (अ) तारीख 28 नवम्बर, 2013 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 28 नवम्बर, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (च) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2014 से लागू होंगे।

(3) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 उपनियम (2) में पैरा (i) के अधीन पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित यान से संबंधित सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित यान

क्रम सं.	यान की किस्म और लागू होना	सीओ प्रतिशत	*HC(n-हैक्सेन समतुल्य) पीपीएम
1.	दुपहिया (2/4-स्ट्रोक) (31 मार्च 2000 को या उससे पूर्व विनिर्मित यान)	4.5	9,000
2.	दुपहिया (2-स्ट्रोक) (31 मार्च 2000 और 2010 के बीच विनिर्मित यान)	3.5	6,000
3.	दुपहिया (4-स्ट्रोक) (31 मार्च 2000 और 31 मार्च 2010 के बीच विनिर्मित यान)	3.5	4,500
4.	दुपहिया (2-स्ट्रोक) (31 मार्च 2010 के पश्चात् विनिर्मित यान)	3.0	4,000
5.	दुपहिया (4-स्ट्रोक) (31 मार्च 2010 के पश्चात् विनिर्मित यान)	3.0	3,000
6.	तिपहिया (2/4-स्ट्रोक) (31 मार्च 2000 को या उससे पूर्व विनिर्मित यान)	4.5	9,000
7.	तिपहिया (2-स्ट्रोक) (31 मार्च 2000 के पश्चात् विनिर्मित यान)	3.5	6,000
8.	तिपहिया (4-स्ट्रोक) (31 मार्च 2000 के पश्चात् विनिर्मित यान)	3.5	4,500
9.	भारत स्तर –II उत्सर्जन मानकों के अनुसार विनिर्मित चौपहिया	3.0	1,500
10.	भारत स्तर–II या भारत स्तर – III उत्सर्जन मानकों के अनुसार विनिर्मित चौपहिया	0.5	750"

IndiaCode

[फा. सं. आरटी-11036/37/2013-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:–मूल नियम सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 152(अ), तारीख 5 मार्च, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2014.

G.S.R. 277(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R.754 (E) dated 28th November, 2013, Extraordinary, Part II, section 3 sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 28th November, 2013;

And, whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (m) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (3rdAmendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on 1st October, 2014.

(3) In rule 115 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 in sub-rule (2), for the Table relating to PETROL/CNG/LPG DRIVEN VEHICLES under paragraph (i), the following Table shall be substituted namely:-

"TABLE
PETROL / CNG / LPG DRIVEN VEHICLES

S. No.	Vehicle Type and Applicability	CO%	*HC(n-hexane equivalent) ppm
1.	Two Wheelers (2/4 – Stroke) (Vehicles manufactured on and before 31st March, 2000)	4.5	9,000
2.	Two Wheelers (2 – Stroke) (Vehicles manufactured between 31st March, 2000 and 31st March 2010)	3.5	6,000
3.	Two Wheelers (4 – Stroke) (Vehicles manufactured between 31st March, 2000 and 31st March 2010)	3.5	4,500
4.	Two Wheelers (2 – Stroke) (Vehicles manufactured after 31st March, 2010)	3.0	4,000
5.	Two Wheelers (4 – Stroke) (Vehicles manufactured after 31st March, 2010)	3.0	3,000
6.	Three Wheelers (2/4 – Stroke) (Vehicles manufactured on and before 31st March, 2000)	4.5	9,000
7.	Three Wheelers (2 – Stroke) (Vehicles manufactured after 31st March, 2000)	3.5	6,000
8.	Three Wheelers (4 – Stroke) (Vehicles manufactured after 31st March, 2000)	3.5	4,500
9.	Four Wheelers manufactured as per pre-Bharat Stage II emission norms	3.0	1,500
10.	Four Wheelers manufactured as per Bharat Stage-II or Bharat Stage-III Emission norms	0.5	750"

[F.No. RT-11036/37/2013-MVL]
SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 152 (E) dated the 5th March, 2014."

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.